**भारत सरकार**

 **खान मंत्रालय**

 **राज्‍य सभा**

 **अतारांकित प्रश्‍न सं. 1158**

 **16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तर के लिए**

**खनिजों पर रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाना**

**1158. श्री दिलीप कुमार तिर्की :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खनिज संसाधन किराया कर (एमआरआरटी) लगाने संबंधी ओडिशा सरकार का प्रस्ताव मंत्रलय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या मंत्रालय रॉयल्टी दर में, जिसमें अगस्त 2012 से संशोधन नहीं हुआ है, तत्काल वृद्धि करने पर विचार करेगा क्योंकि खनिजों के रॉयल्टी दर में संशोधन में विलम्ब करने से राज्य सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है ?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क) तथा (ख) : खनन कंपनियों द्वारा अर्जित किए जा रहे सामान्‍य से अधिक लाभ के कारण ओड़सा राज्‍य सरकार द्वारा लौह अयस्‍क पर खनिज संसाधन किराया कर (एमआरआरटी) लगाने के प्रस्‍ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। सरकार का यह मत है कि राष्‍ट्रीय तथा राज्‍य खनिज निधि के प्रावधानों, जिला खनिज फाउंडेशन भुगतान, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक 2011 में निहित प्रस्‍ताव के अनुसार प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली के जरिए जमा राजस्‍व के प्रावधान का उपयोग खनन गतिविधियों के कारण विस्‍थापित हुए स्‍थानीय लोगों तथा खनन क्षेत्रों के हित में किया जा सकता है और इसिलए यह एमआरआरटी का एक प्रभावी विकल्‍प होगा । कोयला तथा इस्‍पात से संबंधित स्‍थायी समिति ने 7 मई, 2013 को एमएमडीआर विधेयक, 2011 पर अपनी रिपोर्ट पेश की । राज्‍य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्‍त मतों को समुचित तौर से शामिल करके एमएमडीआर विधेयक, 2011 में आधिकारिक संशोधन करने हेतु मंत्रालय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्‍त करने की प्रक्रिया मे है ।

(ग) प्रमुख खनिजों के संबंध में रॉयल्‍टी दरें अंतिम बार 13.8.2009 में संशोधित की गई थी । मंत्रालय ने रॉयल्‍टी की दरों की समीक्षा हेतु 13.9.2011 को प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्‍नाइट तथा भूगर्त भरण हेतु बालू के अलावा) के लिए रॉयल्‍टी और अनिवार्य किराए की दरों में संशोधन हेतु एक अध्‍ययन समूह का गठन किया । अध्‍ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट 28.6.2013 को प्रस्‍तुत की । अध्‍ययन समूह की सिफारिशें मंत्रालय में विचाराधीन हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*